न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस

अपील संख्या 633/2019

निर्णय दिनांक

सेडूराम पुत्र श्री रतनाराम, जाति जाट, निवासी मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. बक्साराम पुत्र श्री रतनाराम, जाति जाट, निवासी मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामलाल पुत्र श्री रतनाराम
3. नानूडी पत्नि श्री रामलाल उर्फ रामू
4. गोपाल पुत्र रतनाराम
5. किशनाराम पुत्र रतनाराम
6. जीवण पुत्र श्री भैरू पुत्र श्री रतनाराम
7. भंवरलाल पुत्र श्री भैरू पुत्र श्री रतनाराम
   समस्त जाति जाट, निवासी मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.10.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019 उनवान बक्शाराम बनाम सेडूराम अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: दिनांक 17/11/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2019 बउनवानी बक्शाराम बनाम सेडूराम में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो स्व. रतनाराम के वारिसान है। ग्राम मुण्डोता तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 785 रकबा 2.62 हैक्टेयर हिस्सा 1/5 व खसरा नंबर 786 रकबा 0.54 हैक्टेयर संपूर्ण खसरा नंबर 788 रकबा 2.00 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नरेन्द्र कुमार से संयुक्त परिवार की आय से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 10.09.2003 को बक्शाराम, सेडूराम पुत्रान रतनाराम के नाम क्रय की। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमल किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 785

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रकबा 2.62 में हिस्सा 1/5 पूर्व रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार मांगीलाल, रामकरण पुत्रान भुवानाराम से संयुक्त परिवार की आय से दिनांक 09.08.2004 को नानूडी देवी पत्नि रामलाल के नाम क्रय की। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य थे जो वादग्रस्त कृषि भूमि क्रय करने से पूर्व से ही शामिल में रहकर संयुक्त रूप से कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करते थे तथा परिवार का संपूर्ण विधिक व शादी विवाह का खर्चा भी शामिल में ही करते थे। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पूर्वज भैरू का संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई वादग्रस्त भूमि में समान हक व हिस्सा निहित है। कानूनन संयुक्त कुटुम्ब की आय से क्रय की गई भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होती है जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का बराबर–बराबर हक हिस्सा स्वत्व निहित रहता है। संयुक्त परिवार का विघटन होने के पश्चात् बक्शाराम, नानूडी देवी द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि भैरूराम, गोपाल, किशनाराम के नाम करवा दी जबकि सेडूराम जो कि चतुर व चालाक व्यक्ति था जिसने खसरा नंबर 788 रकबा 2.00 हैक्टेयर में अपने हिस्से में से केवल 12/50 हिस्सा ही भैरूराम, गोपाल, किशनाराम पुत्रान् रतनाराम के नाम करवाया। खसरा नंबर 785 व 786 की भूमि में हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दिया जबकि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से क्रय के दिन से सभी सदस्य हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है वर्तमान में भी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वर्तमान में सेडूराम पुत्र रतनाराम के पास अपने हिस्से से 2 बीघा भूमि अधिक राजस्व रिकॉर्ड में नाम है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का 1/6–1/6 हक व हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा अपने–अपने नाम करवाने के कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा कई बार सेडूराम को अपने हिस्से से अधिक भूमि 0.50 हैक्टेयर में 1/6 हिस्सा अपने नाम करवाने को कहा लेकिन सेडूराम द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा जब प्रार्थी द्वारा दबाव बनाया गया तो सेडूराम ने साफ इंकार कर दिया कि वह कोई जमीन प्रार्थी के नाम नहीं लगवायेगा एवम् आराजीयात को बेचान, हस्तान्तरित करेगा। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है जिससे परिवार के प्रत्येक सदस्य का बराबर–बराबर हिस्सा है मौके पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है इसलिए कानूनन सेडूराम को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। प्रथमदृष्टया केस एवम् सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूतनीय क्षति कारित होगी इस कारण अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितान्त आवश्यक है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर 785 रकबा 2.62 हैक्टेयर व खसरा नंबर 786 रकबा 0.54 हैक्टेयर संपूर्ण खसरा नंबर 788 रकबा 2.00 हैक्टेयर भूमि को हस्तान्तरण, विक्रय, दान, वसीयत इत्यादि ना करे एवम् मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनकर, बाद बहस मनन अप्रार्थीगण को ग्राम मुण्डोता, तहसील आमेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 785, 786 एवम् 788 कुल किता 3 कुल रकबा 5.16 हैक्टेयर की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलान्ट आराजीयात खसरा नंबर 785, 786 एवम् 788 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2003 के द्वारा रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, विधि अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट का पक्ष सुना जाना आवश्यक था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में आराजीयात संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया जाना बताया है किन्तु वाद पत्र में परिवार के कर्ता खानदान एवं संयुक्त परिवार की आय का स्त्रोत नहीं बतलाया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित अभिवचनों का अध्ययन न कर, जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है एवम् विधिसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2019 खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र विचाराधीन है जिसमें आराजीयात बाबत निर्णय होना अभी शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पाकर अपीलान्ट को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अपीलान्ट को कोई आपत्ति थी तो अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलान्ट की अपील विचारणीय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा का अमूल्य समय व्यर्थ करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुए अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

4. अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो आगामी तारीख पेशी तक जारी की गई है, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम एकपक्षीय आदेश जो आगामी तारीख पेशी तक ही प्रभावित है, के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं हो सकती। अतः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर की फुल बैन्च द्वारा आर.आर.टी. 2014(1) पृष्ठ संख्या 409 में विस्तृत विवेचन के साथ पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या 441 के पैरा संख्या 74 के प्रश्न संख्या 2 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में अपीलार्थी की यह अपील, इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर न्यायहित में निर्देश दिये जाते है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(ए) की

राजस्व अपील प्राधिकारी

पालना करते हुए 30 दिवस में गुणावगुण पर पक्षकारान् का पक्ष सुनकर, प्रार्थना पत्र का निस्तारण करें। उभयपक्षकारान् को जरिये अभिभाषक यह निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 13.12.2021 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत कर, अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय में सहयोग प्रदान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17/11/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर